

- बंधुआ श्रमिकों को र दिया गया है। इस अलावा, सात(7) पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, यदि वे अपा बराबर अंशदा मुहैया कराओं में असफल रहते हैं तो 100% अर्द्धीय सदस्यता प्रदाा की जाती है।
- 9.4 उपरोक्त अतिरिक्त राज्य सराओं को भी सलाह दी गई है कि बंधुआ मजदूरों के पुर्वास के लिए अर्द्धीय त रूप से प्रायोजित र्ामों के साथ अय के रीबी उमूला योजाओं जैसे स्व र्ग जयती के ग्राम स्व-रोज के ार योज- (एस.जी.जीएस.आर.वाई.) आसूचति जाति, जाजाति योजा आदि के लिए विशेष संघटक योजा आदि के साथ एक कीकृत करें/जोड़ें। तदुसार, छुड़ाये गए बंधुआ मजदूरों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध पुर्वास पैकेज में नि मलिखित बड़े घटक भी शामिल हैं:
- मका- स्था तथा कृषि भूमि का आबंटा;
 - भूमि विकास;
 - कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधा;
 - पशुपाला, डेयरी, मुर्गीपाला, सुअर पाला इत्यादि;
 - ई कुशलता प्राप्त करो तथा वर्तमा कुशलता के विरुद्ध असुरो हेतु प्रशिक्षण के र्ग;
 - मजदूरी रोज के ार, यूनतम मजदूरी इत्यादि के प्रवर्ता;
 - लघु जं के ल उत्पादों के एकरा तथा प्रोसेस के रा;
 - लर्णित जा वितर के पद्धति के अंत के त आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति;
 - बच्चों के शिर्षित के रा; तथा
 - ा के रिके अधि के रों के सुर के ा;

9.5 नैसा के संबंधित राज्य सराओं द्वारा बताया गया है 30.11.2005 के पहचा के ए/छुड़ाए के तथा पुर्वास के ए बंधुआ मजदूरों तथा उपरोक्त उल्लिखित अर्द्धीय त रूप से प्रायोजित र्ामों के अंत के त जारी के ई अर्द्धीय सहायता के ब्यौरा तालि के 9.1 में दिया गया है।

9.6 इस अलावा, अरु ाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीस के ढ दिल्ली, हरिया के ा, झार खंड, कार्गतक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्था, त् मलाडु, उत्तर प्रदेश, और उत्तरांचल को 31.3.2005 तक बंधुआ बच्चों को सर्वेक्षण करो, मूल्यांका अध्ययन करो और जागरूकता सृजा के र्ग के लिए 379.00 ला के रुपये के राशि के त के ई। वर्ष 2005-06 (30.11.2005) के दौरा, उत्तर प्रदेश सरा के बंधुआ श्रमिकों के सर्वे के रा के, जा के ल के ता सृजा आदि के लिए 25.00 ला के रुपये के त के ए के ए।

विशेष केुप

9.7 पी एम ओ के आसर के में, सचिव(श्रम एवं रोज के ार) के अधीन के ए विशेष केुप के के त के या के है जिसमें महादिश के, के र के ा सलाह सेवा और श्रम संस्था(डी जी फासली), रेलवे तथा शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं और जो वर्ष के दौरा

अय बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी, मसूरी, तिरुआंतपुरम और अहमदाबाद में छः क्षेत्र-वार बैठकों का आयोजन किरके बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादा) अधियम, 1976 के क्रियावया की समीक्षा की।

राष्ट्रीय मावधिकार आयोग की भूमिका

9.8 उच्चतम यायालय े पी यू सी एक बाम तिमलाडु राज्य व अयों के मामले में अपो दिांक 11.11.1997 के आदेश में िदेश दिया है कि राष्ट्रीय मावधिकार आयोग (एम एच आर सी) को बंधुआ मजदूर से संबंधित मुद्दे के पयर्वे र्ति में शामिल िया जाए। उपर्युक्त आदेश के अनुसार े में ए एच आर सी में एके के द्रीय ियुप के िया िया है। श्रम और रोज ियार मंत्रालय के सहयो से यह ियुप बंधुआ श्रमि के पहचा के मुक्त के राओ और पुर्वासित करों के लिए िला मैजिस्ट्रेटों और अय क

ार्यकारियों को सुग्राही बाओ के लिए राज्य मुख्यालयों पर बंधुआ श्रमिकों के बारे में सुग्राही करण कार्यशाला का आयोजन करता रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरा ऐसी चार सुग्राही र्ति के आयोजन के माध्यम से सरार द्वारा िए िए समेकित प्रयासों के फलस्वरूप राज्यों से बंधुआ श्रमिकों की घटा में कमी आ रही है।

9.9 सार ि 9.2 दर्शाती है ि विभिन्न िरीबी उमूल के अर्थात् मां, जा के रूता, सुग्राही र्ति आदि के माध्यम से सरार द्वारा िए िए समेकित प्रयासों के फलस्वरूप राज्यों से बंधुआ श्रमिकों की घटा में कमी आ रही है।

सारणी 9.1

31.03.2005 और 2005-2006 (30.11.2005) के दौरा केद्र प्रायोजित योजा स्कीम के अंतर्गत पहचा किए गए मुक्त के राओ और पुर्वासित बंधुआ श्रमि के संख्या

राज्य के नाम	बंधुआ श्रमि के संख्या				(ला र्ति रुपये में)	
	31.3.2005 तक पहचा िए िए और मुक्त के राओ के िए	2005-06 के दौरा 30.11.2005 तक पहचा िए िए मुक्त के राओ के िए	31.3.05 तक पुर्वासिता	2005-06 के दौरा 30.11.05 तक पुर्वासित	31.3.05 तक मुहैया के रायी के िए द्वीय सहायता	2005-06 के दौरा 30.1.05 तक मुहैया के रायी गई वित्तीय सहायता
नांध प्रदेश	37,988	-	31,534	-	850,00	-
बिहार	13,651	141	12,974	141	389,28	14.10
कार्नाटक	63,437	-	57,185	-	1578,18	-1.23
मध्य प्रदेश	13,087	38	12,200	38	163.26	-
उड़ीसा	50,029	-	46,901	-	903.34	-
राजस्था	7,488	-	6,331	-	72.42	-
तमिलनाडु	65,573	-	65,573	-	1661.94	0.55
महाराष्ट्र	1,398	6	1,325	6	9.55	11.40
उत्तर प्रदेश	28,236	114	28,236	114	577.07	-

बंधुआ श्रमिक ६ वार्षिक रिपोर्ट 2005-06

केरल	823	-	710	-	15.56	-
हरियाणा	551	-	49	-	0.93	-
गुजरात	64	-	64	-	1.01	-
कर्नाटक	3526	-	2,992	-	568.48	-
मध्य प्रदेश	124	-	124	-	12.40	-
पंजाब	69	-	69	-	6.90	-
उत्तरांचल	5	-	5	-	0.50	-
झारखंड	196	-	196	-	19.60	-
पश्चिम बंगाल		5	5	5	-	0.50
कुल	2,86,245	304	2,66,283	304	6830.42	27.78

सारणी 9.2

वर्ष	सूचित बंधुआ श्रमिकों, की घटा
1997-1998	6000
1998-1999	5960
1999-2000	8195
2000-2001	5256
2001-2002	3929
2002-2003	2198
2003-2004	2465
2004*-2005	866
2005-2006 (30.11.2005 तक)	304